भारत स्वातंत्र्य अधिनियम । 1947

माउण्टबेटन योजना को कार्यान्वित करने एवं भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तान्तरित करने के लिए ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक प्रस्तुत किया। यह विधेयक 18 July 1947 को स्वीकृत हुआ। इसी को भारत स्वतंत्रता अधिनियम की संज्ञा दी जाती है। यह एक आश्चर्यजनक बात थी इस तरह का महत्वपूर्ण विधेयक इतनी अल्प अवधि में किसी संसद में किसी समय स्वीकार नहीं हुआ था।

1947 के अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य थे दो स्वतंत्र डोमिनियनों के निर्माण की व्यवस्था करना भारतीय शासन सम्बन्धी 1935 के अधिनियम की उन धाराओं के बदले नयी धाराओं को स्थान देना जिनका सम्बन्ध डोमिनियन के बाहर की बातों से है और दो डोमिनियनो के निर्माण के परिणामस्वरूप तथा सम्बन्धित अन्य बातों की व्यवस्था करना। इन उद्देश्यों से स्पष्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक मुख्यतः ब्रिटिश भारत में दो डोमिनियनो के निर्माण तथा भारतीय शासन सम्बन्धी 1935 के अधिनियम में तत्सम्बन्धी संशोधन करने के लिए पेश किया गया था। वह अन्तिम निर्णय के समान नहीं वरन ऐसे प्रस्ताव के रूप में था जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को अपने-अपने संविधान बनाने तथा अति कठिन संक्रमण काल की व्यवस्था करने की क्षमता मिल जाए।

अधिनियम बनाते समय देशों के नाम के बारे में थोड़ी कठिनाई पैदा हुयी थी। शुरु में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान नाम के दो देशों का उल्लेख किया गया था। परन्तु इस पर कांग्रेस ने आपत्ति उठाई और आग्रह किया कि हिन्दुस्तान

के स्थान पर भारत और इंडिया नामों का उल्लेख कि-
गए। उनका कहना था कि यह दो नए देशों के निर्माण
का प्रश्न नहीं था केवल देश का एक अंग देश से
अलग हो रहा था। इस प्रकार नये बनने वाले देश
को चाहे जो भी नाम दिया जाता भारत का नाम
किसी प्रकार बदला नहीं जा सकता था।

स्वतंत्रता अधिनियम की दूसरी, तीसरी
और चौथी धाराओं में दोनों डोमिनियनों के प्रदेशों
की व्यवस्था की गयी थी। पाकिस्तान के प्रदेश निर्धारित
कर दिये गये और ब्रिटिश भारत के विशिष्ट प्रदेशों
को भारत का नाम दिया गया था प्रदेश निर्धारण
का आधार निवासियों का साम्प्रदायिक बहुमत था।
पर अन्तिम सीमा निर्धारण कमीशनों पर छोड़ दिया
गया था जो अपना निर्णय देते समय साम्प्रदायिक
बहुमत के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों पर भी विचार
करने को थी। दूसरी धारा की तीसरी और चौथी
उपधाराओं द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि
उक्त सीमा निर्धारण अपरिवर्तनशील नहीं होगा।

(2, 3, 4 प्रदेशों की व्यवस्था)

महारानी विक्टोरिया ने 1858 में जब भारत
का शासन कम्पनी से सम्भाला था तो उन्होंने भारत
साम्राज्ञी का पद ग्रहण किया था उसके बाद से ब्रिटिश
सम्राट भारत सम्राट भी कहलाते थे इस अधिनियम ने
इस बारे में कहा कि इंडिया इम्परेटर और इम्परर
ऑफ इंडिया नाम के पद समाप्त कर दिये गये हैं
और इस विषय में एक शाही घोषणा भी कर दी
गयी है इसमें एक कठिनाई थी कि अकेली ब्रिटिश
संसद सम्राट के पद में परिवर्तन नहीं कर सकती थी
इसके लिए सारे राष्ट्रमंडलीय देशों की स्वीकृति लेनी
अनिवार्य थी। परन्तु ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपनी
संसद को आश्वासन दिया कि इस विषय में सभी
राष्ट्रमंडलीय देशों की सहमति लेना था।

(विशेषता धारा 12 भारत सम्राट)

स्वतंत्रता अधिनियम की दसवीं धारा

10 वीं धारा - सार्वजनिक नौकरियों के भी भारत में कार्य करनेवाले ब्रिटिश नागरिकों
[illegible]

सम्बन्ध भारत की सार्वजनिक सेवाओं से था। 1935 के अधिनियमों के अनुसार भारत मंत्री को भारतीय सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार था। इस अधिकार का अन्त कर दिया गया लेकिन इसके साथ ही भारत मंत्री के सिविल सर्विस के वर्तमान सदस्यों तथा उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के अधिकार, वेतन आदि की रक्षा की व्यवस्था की गयी। अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि उक्त व्यक्ति परिवर्तित परिस्थिती के अनुकूल डोमीनियम तथा प्रान्तीय सरकारों से जिनके अधीन वे काम करते हों, वेतन, छुट्टी पेंशन और कार्यकाल सम्बन्धी उन्ही स्वत्वों के अधिकारी होंगे, जिनके निर्धारित दिन के ठीक पूर्व वे अधिकारी थे। वस्तुतः अधिनियम में यह धारा भारतीय नेताओं के आग्रह पर जोड़ी गयी थी। यह व्यवस्था की गयी थी कि जो लोग भारत में सेवा कर रहे हैं वे ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी यदि भारत की सेवा करेंगे तो भारत सरकार उनके हितों की रक्षा पहले की ही भांति करती रहेगी और ब्रिटिश सरकार उनके हितों का संरक्षण करने के लिए जिम्मेदार होगी। भारत के नेता चाहते थे कि सारे अंग्रेज सैनिक और अनुभवी कर्मचारी भारत को इनके छोड़कर न जाएं क्योंकि वैसा होने पर देश का प्रशासन ठप्प हो सकता था।

स्वतंत्रता अधिनियम की ग्यारहवीं बारहवीं और तेरहवीं धाराओं में भारतीय और ब्रिटिश सेनाओं तथा जल सेनाओं की व्यवस्था की गयी थी। इसके मुख्य तीन सिद्धांत थे — गवर्नर जनरल अपने आदेश द्वारा दोनों

11, 12, 13, — ब्रिटिश सेना और जल सेना

डोमिनियनों में भारतीय सेना के विभाजन की व्यवस्था
करेंगे। गवर्नर जनरल अपने आदेश द्वारा क्रमशः
भारत से ब्रिटिश सेना को हटाने की व्यवस्था करेंगे।
प्रधानमंत्री एटली के कथनानुसार ब्रिटिश सेना की
गतिविधि जहाजों में मिलनेवाले स्थान पर निर्भर थी
जबतक ब्रिटिश सेनायें भारत में या पाकिस्तान
में रहे तबतक उनके अधिकारों और सुविधाओं
की रक्षा की पूर्ण व्यवस्था थी। लेकिन वे देश की
आंतरिक शांति की रक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं की
जा सकती थी और दोनो डोमीनियनो में से एक
या दूसरी का साथ भी न दे सकती थी।

जबतक ब्रिटिश सेनाएँ भारत या पाकिस्तान
में रहे तबतक उनके ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन
होने की व्यवस्था थी। दोनो डोमीनियनो के लिए
अलग-अलग एक प्रधान सेनापति था। इन दोनो
के ऊपर एक सर्वप्रधान सेनापति था। उसका सम्बन्ध सीधे ब्रिटिश अधिकारियों
के साथ था। अधिनियम की उक्त व्यवस्था सम्भवतः
इसलिए की गयी थी कि स्वतंत्रता अधिनियम के
मामले में नयी डोमीनियनों के गवर्नर जनरलों
तथा अन्य अधिकारियों का ब्रिटिश सेना के साथ
किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो सके।

(दोनों को अलग-अलग एक प्रधान सेनापति)

1947 के अधिनियम द्वारा भारत के
देशी राज्यों के ऊपर से ब्रिटिश सम्राट की
सर्वोपरिता समाप्त कर दी गयी। भारत को भी
सत्ता दी गयी जो ब्रिटिश भारत के सम्बन्ध
में थी। देशी राज्यों की रक्षा भारत सरकार

को नहीं दी गयी और राज्यों एवं नवाबों को स्वतंत्र कर दिया गया। होना यह चाहिए था कि सारी सत्ता भारत को सौंप दी जाती, परन्तु वैसा किया नहीं गया और उसका परिणाम यह हुआ कि देश में देशी राज्यों को लेकर पर्याप्त गड़बड़ी पैदा हुआ।

सम्राट की सर्वोपरि सत्ता तथा ब्रिटिश सम्राट

सम्राट की सर्वोपरि सत्ता का अन्त होते ही ब्रिटिश सम्राट तथा भारतीय रियासतों के बीच हुयी समस्त संधियां भी समाप्त हो जाती थी। पर सर्वोपरि सत्ता डोमिनियनों की नयी सरकारों को नहीं हस्तान्तरित हुई। संक्षेप में भारतीय रियासतें आजाद हो गयी पर उनसे यह आशा नहीं की जाती थी कि वे भारत से कटी हुई रहेंगी और न वे ऐसा कर ही सकती थी। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे शीघ्र ही दोनों में से किसी एक डोमिनियन में अपनी शर्तों पर प्रविष्ट हो जाएंगी।

दोनों देशों के दो गवर्नर जनरल

अधिनियम में यह कहा गया कि दोनों देशों के दो गर्वनर जनरल होंगे साथ ही यह भी कहा गया था कि एक व्यक्ति भी दोनों देशों में एक साथ उस पद को संभाल सकेगा। गर्वनर जनरल कौन हो, इस विषय में निर्णय करने की शक्ति संसद ने भारत और पाकिस्तान को दे दी। लेकिन इस विषय में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि दोनों देशों में विधिवत मंत्रिमंडल तो थे नहीं तथा इस कारण कोई प्रधानमंत्री भी नहीं था।

अतः यह प्रश्न कैसे किया जाता कि गर्वनर जनरल कौन हो। दोनो देशों में एक ही व्यक्ति गर्वनर जनरल हो सकता है यह व्यवस्था इस दृष्टि से की गयी थी कि जबतक बँटवारे की कार्यवाही शान्ति के साथ पूरी न हो, उस अवधि में लार्ड माउन्टबेटन दोनो देशों के गर्वनर जनरल बने रहें। लेकिन पाकिस्तान में यह प्रस्ताव जिन्ना को मंजूर नहीं हुआ। इस अधिनियम ने वायसराय के पद का अन्त कर दिया तथा उसके अनुसार गर्वनर जनरल ही रह गया। गर्वनर जनरल को इस अधिनियम ने देश का वैधानिक शासक बना दिया तथा उसे उपनिवेश के विधान पर स्वीकृति प्रदान करने की पूरी शक्ति प्रदान कर दी।

1947 के अधिनियम ने भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया। इसका कारण यह था कि अधिनियम लागू होने के बाद ब्रिटिश संसद पर भारत के शासन का कोई उत्तरदायित्व रहने का नहीं था। अतः स्वभाविक रूप से ब्रिटेन के मंत्रीमंडल में उनके बारे में किसी मंत्री का रहना अनावश्यक हो गया और वह अपने आप ही समाप्त हो गया। उसी के साथ उसका कार्यकाल भी समाप्त हो गया। स्वतंत्रता अधिनियम की चौदहवीं एवं पन्द्रहवीं धाराओं का सम्बन्ध भारत मंत्री के आर्थिक अधिकारों उनके परामर्शदाताओं तथा उनके द्वारा और उनके विरुद्ध चलाये गए कानूनी मामलें से था। भारतीय रियासतें

मंत्री का पद समाप्त

14, 15 वीं धारा – भारत मंत्री के आर्थिक अधिकार तथा परामर्शदाता

सम्बन्धी 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत मंत्री भारत सरकार की ओर से अदायगी का काम करते थे सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध तथा उसका भुगतान भी इन्हीं के अधीन था। स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार इस काम को पूरा करने के लिए भारतीय मंत्रीमंडल सक्षम था।

1947 के अधिनियम ने भारत पर से ब्रिटिश संसद की सत्ता समाप्त कर दी और वह सत्ता भारत और पाकिस्तान की संसदों को सौंप दी। इस धारा को लागू करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि भारत और पाकिस्तान में उन देशों की लोकनिर्वाचित संसदें नहीं थीं। अतः यह प्रश्न पैदा हो गया कि सत्ता किसे दी जाय। तय हुआ कि दोनों देशों की संविधान सभा को सत्ता हस्तांतरित की जाय।

1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने जहाँ एक और भारत को स्वतंत्रता प्रदान की वहाँ भारत का विभाजन भी हुआ। इससे भारतीय उपमहाद्वीप की राष्ट्रीय एकता समाप्त हो गयी। देशी रियासतों पर से सर्वोच्च सत्ता को लेकर हटाकर उन्हें स्वतंत्र कर देने के फलस्वरूप 600 के करीब रियासतों का एकीकरण की समस्या उत्पन्न हो गयी। इस तरह से भारत का बाल्हिकरण हुआ। इसके भविष्य में अनेक राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया। एकबार भारत विभाजन को स्वीकार करने के पश्चात् देश में साम्प्रदायिक उन्माद उमड़ा उसने खून की नदियाँ बहा दी

भारत का विभाजन / भारत पर से ब्रिटिश संसद
रियासतों के एकीकरण की समस्या / ब्रिटिश सत्ता समाप्त

एवं विभाजन के समय की दुःखद स्मृतियाँ भारत एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों को आजतक प्रभावित कर रही है।

इस अधिनियम के तहत 14 Aug 1947 को पाकिस्तान एवं 15 Aug. 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुयी। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के और लार्ड माउन्टबेटन भरत के गवर्नर जनरल बने।

-Mithilesh kumar.

Scanned with CamScanner